कार्यालय–प्राचार्य, पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून

–: छात्रवृत्ति सूचनाः– दिनांक 24.08.2021

महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए समाज कल्याण द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है छात्रवृत्ति हेतु SC/ST/OBC/EBS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग से आने वाले छात्र –छात्रायें संलग्न विज्ञप्ति का अवलोकन करते हुऐ आवेदन करना सुनिश्चित करें।

नोटः–आवेदन करने के पश्चात् छात्र आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्न दस्तावेजों सहित आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्राचार्य अथवा महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ऋषिकेश,देहरादून।

डॉ. अनिल कुमार
संयोजक – आवश्यक
कार्यवाही हेतु,
प्राचार्य

107

अति आवश्यक/समयबद्ध/ई–मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

1–समस्त निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य,शासकीयएवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थान एवं व्यवसायिक संस्थान/पालिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 जनपद– देहरादून।
2– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून।

पत्रांक/1167 /सक/दश0छा0/2021–22 दिनांक 19 अगस्त, 2021

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन नवीन पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति(पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर)तथा ई0बी0सी0(आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य जाति छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना) योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए छात्र–छात्राओं हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल **19 अगस्त– 2021 से 30 सितम्बर–2021** तक खोला गया है। पोर्टल का लिंक **(https://scholarships.gov.in)** है। आपके विद्यालयों/कॉलेज,विश्वविद्यालायों अथवा अन्य किसी भी संस्थान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्रों को जिन्हे नवीनीकरण **(Renewal)** होना है एवं नवीन पंजीकरण **(Fresh Registration)** किया जाना है उनके आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 19 अगस्त– 2021 से 30 सितम्बर–2021 तक भरवाने का कष्ट करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त समस्त कालेज/निजी शिक्षण संस्थान आगामी सत्र से आधार बेस्ड बायोमैट्रिक अटेंडंस शुरू करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि अनु0जाति/ जनजाति/ पिछडी जाति/ ई0बी0सी0 (आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य जाति छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना) के पात्र छात्र/छात्राओ के ऑनलाईन आवदेन पत्र भरवाते हुये 30 सितम्बर तक अद्योहस्ताक्षरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें। यदि कोई पात्र छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों की होगी।

पोर्टल पर पंजीकरण और तत्पश्चात आवेदन करते हुये छात्र/छात्राये निम्नवत बातों का ध्यान रखें:–

1– अपना पता भरते समय मूल अथवा स्थाई पता लिखें, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति आपके मूल जनपद से ही प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान से यह सूचना भरें।

2– अपने बैंक खाते का नम्बर और आईएफएससी कोड ध्यान से भरें। इसमे किसी भी तरह की गलती होने पर यदि भुगतान नही होता है तो दायित्व आपका होगा।

3– यदि आपकी पिछले वर्ष की परीक्षा नही हुई है तो उस स्थिति में भी आप आवेदन पत्र भर दें। मार्कशीटहेतु जो भी पिछली(Latest) मार्कशीट उपलब्ध हो, उसे अपलोड कर दें। आपको डिफेक्ट पश्चात अपनी नयी मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होगा।

4– यदि आप किसी प्राईवेट(निजी शिक्षण,संस्थान) में पढ रहे है तो ध्यान रखें कि आपको आपके वर्गानुसार छात्रवृत्ति के साथ ट्यूशन फीस जो शासकीय कॉलेज की न्यूनतम दर हो देय होगी।

5– नियमानुसार अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति में मैनेजमेंट कोटा,स्पॉट एडमिशन आदि तरीकों से एडमिशन लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नही होगा, जो छात्र कॉसलिंग के माध्यम से हो उन्ही को छात्रवृत्ति देय होग।

Scholership Letter-2013

6– छात्र –छात्रा अपने कॉलेज से तुरन्त सम्पर्क कर लें, यंह भी सुनिश्चित करें कि आपको मोबाइल नम्बर सही अंकित है।

7– छात्र–छात्रायें आवेदन पत्र खुद भरें। यदि सीएससी अथवा किसी अन्य माध्यम से भरवा रहे है तब भी स्वयं ध्यान दें कि आपकी कि जानकारी सही से भरी है। अपने स्तर से कोई त्रुटिपूर्ण अंकन हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

8– किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर आप (swditcell@gmall.com) पर ई–मेल कर सकते है या फिर 6395221188 पर कॉल कर सकते है। आपको हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

भवदीय

(हेमलता पाण्डेय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।